राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ.1(11)आ0प्र0एवंसहा / सामान्य / 2021 / 15767-805   जयपुर,दिनांक 10.12.2021

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
2. समस्त जिला कलक्टर,
   राजस्थान।

विषयः—कोविड़—19 से मृत्यु होने पर अनुग्रहिक सहायता भुगतान राशि का आवंटन सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र डब्ल्यू पी.(सी) संख्या 539 / 2021 और डब्ल्यू पी.(सी) संख्या 554 / 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.06.2021 के अनुसरण में एनडीएमए ने DM Act, 2005 की धारा 12(iii) के तहत कॉविड़—19 द्वारा मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि दिए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

इस संदर्भ में कोविड़—19 से मृत्यु हाने पर मृतक के वारिस को अनुग्रह सहायता दिये जाने हेतु विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 30.11.2021 द्वारा जारी किये गये थे।

दिनांक 03.12.2021 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कोविड़—19 से मृतको के आश्रितो को एसडीआरएफ मद से अनुग्रहिक सहायता राशि का भुगतान **सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु विभागीय पत्र क्रमांक 15607—15 दिनांक 07.12.2021 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राशि रूपये 4457.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर, बजट आवंटन किया जा चुका है।

अतः अब कोविड़—19 द्वारा मृतक के परिजन को अनुग्रह सहायता राशि सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही स्वीकृत की जावेगी।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति।

भवदीय

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ.8(36)आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2021/15607-15 जयपुर, दिनांक 7.12.2021

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 111/2021-22

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 03.12.2021 में लिए गए निर्णयानुसार कोविड-19 से मृतको के आश्रितो को एसडीआरएफ मद से अनुग्रहिक सहायता भुगतान हेतु राशि का आवंटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाना है।

उक्त बैठक के क्रम में मुख्य सचिव महोदय, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति से अनुमोदनानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कोविड-19 मृतको की जिलेवार सूचनानुसार राजस्थान के विभिन्न जिलों में 8915 मृतको को 50,000 रू प्रति मृतक अनुसार एसडीआरएफ मद से अनुग्रहिक सहायता भुगतान हेतु राशि रू 8915X50000 = 4457.50 लाख (अक्षरे रू चम्मालिस करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आहरण वितरण अधिकार दिए जाने हेतु एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न बजट मद पर प्रभार्य होगा-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ चक्रवात आदि
101- अनुग्रहिक राहत
(16)- (बाढ क्षेत्र में अनुग्रहिक राहत)
[01]- [अन्य मद]
12- सहायतार्थ अनुदान (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रूपये 3343.13 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रूपये 1114.37 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन जारी की जाती है:-

1. उक्त राशि के व्यय करने हेतु कोविड-19 के मृतको के आश्रितो को सहायता के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोर्म्स दिनांक 25.09.2021 एवं दिशा निर्देश दिनांक 11.09.2021 की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. कोविड-19 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा जिलेवार चिन्हित मृतको के परिजनो को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
4. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावें।
5. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।
6. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 332100831 दिनांक 07.12.2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, (लेखा एवं हक) जयपुर, राजस्थान।
2. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर को राशि रूपये 4457.50 लाख के लिये आहरण वितरण अधिकारी घोषित किए जाने हेतु।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को उपरोक्तानुसार राशि रूपये 4457.50 लाख के बजट आवंटन हेतु।
7. कोषाधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निवासी लेखा परीक्षाधिकारी, कमरा न. 98 ए, शासन सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव